प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 23.08.2024

चोरी का अपराध करित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी के सामान के विक्रय का रुपया व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष गीडा के नेतृत्व में उ0नि0 रुपेश पाल मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 389/2024 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्तगण 1. गोलू विश्वकर्मा व 2. निखिल सोनकर को चोरी के सामान के विक्रय से प्राप्त 5,000 रुपये व घटना में प्रयुक्त ऑटो के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.08.2024 को वादिनी मुकदमा ऑटो से अपने घर जा रही थी कि बाघागाड़ा पुल के पास ऑटो में ही 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी मुकदमा का सोने की चैन व अंगूठी निकाल लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधर पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम व पता व आपराधिक इतिहास-

1.निखिल सोनकर पुत्र राजू सोनकर निवासी टी0पी0 नगर (भैसा गालन) थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

i. मु0अ0सं0 578/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना गीडा जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 188/2022 धारा 323,504,506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
iii. मु0अ0सं0 0269/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
iv. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 303(2), 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

2. **गोलू विश्वकर्मा पुत्र पुरन विश्वकर्मा नि0 हरैया पानी की टंकी चौहार चक्की थाना गीडा गोरखपुर**

i. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 303(2), 317(2) भा0न्या0सं0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

चोरी के सामान के विक्रय से प्राप्त 5,000 रुपये व घटना में प्रयुक्त ऑटो

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष महेन्द्र कुमार मिश्र थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रुपेश पाल थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. कां0 पंकज कुमार थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. कां0 राजेश चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर